

प्रेषक,

पंकज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ० प्र०, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु०-2

लखनऊ:दिनांक ०६ मार्च, 2017

विषय:-हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट (Coronary stent) की निर्धारित मूल्य पर उम्लब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा० अनिता भटनागर जैन, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-453/7-1-2017-जी०-30/2017 दिनांक 02-03-2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने काराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

रू.डी. कामि (प्र) / रू.डी. कामिश्नर / रू.डी. कामि (विधि)

भवदीय,

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव।

SSO-1
16-03-2017

JC/F/
De. ला. S. / क. प्र. प्र. प्र.

4553
16-3-2017

SSO
16-3-17

ACCT (A)
16-3-17

Notice board पर 1177
जलने हेतु ??
ju

24/11-2-17

Email

महत्वपूर्ण

संख्या-453 /71-1-2017-जी-30 /2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- (1) महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।
- (3) कुलपति,
उ0प्र0 ग्रामीण आर्युविज्ञान संस्थान,
सैफई, इटावा।
- (4) कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट
आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।
- (6) निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।
- (7) समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2017

विषय:- हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट (Coronary stent) की निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

195/अनुसं कर/2017

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 16.02.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा यह अवगत कराया है कि हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट का मूल्य निर्धारण दिनांक 14.02.2017 से लागू किया गया है। बेयर मेटल स्टेन्ट (बी0एम0एस0), जिसका औसत विक्रय मूल्य रू0 45,000/- है, को घटाकर रू0 7,623/- और ड्रग इल्यूटिंग स्टेन्ट (डी0ई0एस0), जिसका औसत विक्रय मूल्य रू0 31,000/- है, को घटाकर रू0 31,080/- कर दिया गया है।

JSD

06-3-17

राजेश कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव
राज्य कर, मनोरक्षण
उत्तर प्रदेश शासन

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.02.2017 द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले उक्त कोनेरी स्टेन्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

07/02/17
07/02/17
07/02/17

07/02/17
विशेष कार्याधिकारी
वित्त एवं निबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

07/02/17
07/02/17


(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 453 (1)/71-1-2017, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, व्यापार कर विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके पत्र संख्या-जी०आई०-०४/पॉच-१-२०१७, दिनांक २०.०२.२०१७ के क्रम में।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
5. खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, उ०प्र० लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

३

